पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-09/2023-3124 /वि०स०, पटना, दिनांक-20/10/23 ई० ।

प्रिय ....

सप्तदश बिहार विधान सभा का नवम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक-10 जुलाई, 2023 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक-14 जुलाई, 2023 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । नवम सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के नवम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित है, इसमें प्रश्न एवं लोक महत्व की सूचनाओं के साथ-साथ वित्तीय कार्य, राजकीय विधेयक तथा गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । प्रश्नों के शतप्रतिशत उत्तर प्राप्ति के लिए प्रयास किये गये हैं और उम्मीद है कि इस सत्र में भी सरकार के संबंधित विभागों के द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर ससमय प्राप्त होंगे । आप सबों से आग्रह है कि बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत अपनी बातों को सदन में रखें । सरकार हर विषय में उत्तर देने के लिए बाध्य होगी । यह संसदीय प्रणाली की खास विशेषता है कि कार्यपालिका सदन के प्रति जवाबदेह होती है ।

माननीय सदस्यगण, स्वतंत्रता मिलने पर हमलोगों ने लोकतंत्र के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया । इस प्रणाली की आलोचना भी कम नहीं होती है । आलोचकों ने हमेशा इसपर आपत्ति व्यक्त किया है कि इस व्यवस्था में अधिकांश लोग इतने अज्ञानी, अशिक्षित और अदूरदर्शी होते हैं कि वे सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण में भाग लेने के योग्य नहीं माने जा सकते, जबकि समय ने जवाब दिया है कि सामान्य जनता समझदार होती है । उसे परिस्थिति को समझाने में भले देर लगता हो लेकिन वह जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करने में पूरी तरह सक्षम होती है । वे सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले राजनीतिक निर्णयों को अपने अनुकूल पलटने की क्षमता रखती हैं और उनके निर्णयों का सामाजिक परिवर्त्तन की दिशा में दूरगामी असर भी होता है ।

मेरा आप सबों से अनुरोध है कि इस छोटे से सत्र में सदन के समय का भरपूर उपयोग करें और सदन के माध्यम से आप जनता की तकलीफों को दूर करें । मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग निरन्तर प्राप्त होगा ।

अनुमत विधेयक

दिनांक-10 जुलाई, 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत निम्न विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2023
(2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023
(3) बिहार नौकाघाट बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक, 2023
(4) आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (एनेबलिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023

वित्तीय कार्य

दिनांक 10 जुलाई, 2023 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया । दिनांक-13 जुलाई, 2023 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा यह स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष 2020-21 के ''स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन'' तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वर्ष 2021-22 के ''राज्य के वित्त'' प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष 2020-21 के ''स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन'' तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वर्ष 2021-22 के ''राज्य के वित्त'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''
3. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार स्टेट पावर (हो०) कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
4. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
5. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-44 के आलोक में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर का वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत् बिहार लोक सेवा आयोग के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
8. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के हरित बजट पुस्तिका की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
9. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-189, दिनांक-21.09.2022 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
10. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
11. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-189 के तहत् बनाई गई ''बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2023'' की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

12. सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

13. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-104, दिनांक-01.07.2022; एस०ओ०-105, दिनांक-12.07.2022; एस०ओ०-106, 107, 108, दिनांक-15.07.2022; एस०ओ०-109, दिनांक-12.07.2022; एस०ओ०-110, 111, 112, 113, 114, दिनांक-15.07.2022; एस०ओ०-169, 170, दिनांक-28.07.2022; एस०ओ०-171, 172, 173, 174, 175, दिनांक-29.08.2022; एस०ओ०-176, दिनांक-02.09.2022; एस०ओ०-190, 191, 192, दिनांक-29.09.2022; एस०ओ०-411, दिनांक-07.11.2022; एस०ओ०-487, दिनांक-15.12.2022; एस०ओ०-489, 490, 491, 492, दिनांक-30.12.2022; एस०ओ०-91, दिनांक-11.01.2023; एस०ओ०-107, दिनांक-14.02.2023; एस०ओ०-108, 109, 110, 111, दिनांक-28.02.2023; एस०ओ०-126, दिनांक-21.04.2023; एस०ओ०-127, दिनांक-09.05.2023; एस०ओ०-129, 130, 131, 132, 133, 134, दिनांक-17.05.2023; एवं एस०ओ०-220, दिनांक-13.06.2023 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
2. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023

याचिका

इस सत्र में कुल 145 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 133 स्वीकृत हुए तथा 12 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 155 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 141 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 14 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 823 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 704 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 35 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 34 के उत्तर प्राप्त हुये; 570 तारांकित प्रश्न थे जिनमें 526 के उत्तर प्राप्त हुये एवं 99 अतारांकित प्रश्न थे ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 99 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 88 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 03 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में दिनांक-14/07/2023 के लिए कुल 91 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए तथा सभी 91 सूचनाएँ स्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 52 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 01 सूचनाएँ सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 01 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत किये गये तथा 37 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय गायत्री देवी, पूर्व स०वि०स०
2. स्वर्गीय सोनेलाल मेहता, पूर्व स०वि०स०
3. स्वर्गीय शोभाकान्त मंडल, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय पुनेश्वर मंडल, पूर्व स०वि०प०

दिनांक-14 जुलाई, 2023 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी । जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

सेवा में,

....

....

....

13/10/23

(पवन कुमार पाण्डेय)
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।